

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद, जिला बारां राजस्थान  
वाद संख्या 85/12 दायरा दिनांक 27.09.2012

पीठासीन अधिकारी – श्री मुकेश चन्द्र मीना (आर.ए.एस.)  
नन्दकिशोर पुत्र खेरूमल जाति किराड निवासी जखोनी तहसील शाहाबाद जिला बारां  
राजस्थान वादी

बनाम  
छप्पू पुत्र गोपाल जाति चमार निवासी जखोनी तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान  
प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 188 आर0 टी0 एक्ट

निर्णय दिनांक— 01.05.2025

उपस्थित – वादी की ओर से – श्री अरविन्द शर्मा एडवोकेट

प्रतिवादी की ओर से – एकपक्षीय

संक्षेप में वादी का वाद इस प्रकार है कि वाकेग्राम जखोनी तहसील शाहाबाद की आराजी ख0नं0 372/1 रकबा 6.18 बीघा स्थित है, जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी की खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी को विवादित आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है। विवादित आराजी पर बहैसियत मालिक स्वामी निर्बाध रूप से प्रतिवर्ष फसल बोता एवं काटता चला आ रहा है। दिनांक 20.12.2010 को प्रतिवादी विवादित आराजी पर आ गया तथा वादी की खड़ी फसल गेहू पर जबरन कब्जा करने को आमादा हुआ तथा वादी को धमकी दी कि मैं इस जमीन पर कब्जा करके रहूंगा तथा तेरी खड़ी फसल को जबरन काट कर ले जाऊंगा यदि तू मुझे रोकेगा तो मैं तुझे जान से मार दूंगा तथा धारा 3 के मुकद्दमे में उलझा कर जेल भिजवा दूंगा। प्रतिवादी को कोई हक प्राप्त नहीं है कि वह वादी के स्वामित्व कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी पर जबरन कब्जा करे। अस्तु वादी प्रतिवादी के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने को अधिकारी एवं नालिशी है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से जबावदावा मय काउन्टरक्लेम पेश किया गया। प्रकरण में तनकी कायम की जाकर साक्ष्य उपरांत दिनांक 29.06.2012 को वादी का वाद खारिज किया तथा प्रतिवादी का काउन्टरक्लेम स्वीकार किया जाकर वादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया कि वह प्रतिवादी के ग्राम जखोनी तहसील शाहाबाद के ख0नं0 372 रकबा 10.00 बीघा में प्रतिवादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत नहीं करे। इस आशय की डिक्री जारी की गई।

इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/डिक्री दिनांक 29.06.2012 से [REDACTED] होकर वादी ने अपील संख्या 221/2012 न्यायालय भूप्रबन्ध अधिकारी एवं [REDACTED] राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के समक्ष पेश की, जिसमें पारित निर्णय दिनांक 21.08.2012 से अपील स्वीकार की जाकर इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/डिक्री दिनांक 29.06.2012 को अपास्त कर दिया गया और प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया कि पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान कर प्रकरण का गुणवगुण के आधार पर

01.05.2025

निर्णय पारित करें।

माननीय अपील न्यायालय भूप्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के निर्णय की पालना में वाद को पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया। पक्षकारान जर्जे वकील उपस्थित हुये। वादी को साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया गया, वादी की ओर से वादी नन्दकिशोर, सीताराम, कैलाश तथा कल्याण के साक्ष्य शपथपत्र पेश किये गये तथा पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद वादी नन्दकिशोर के बयान कराये, शेष गवाहान को जिरह हेतु पेश नहीं किया गया। प्रतिवादी को साक्ष्य हेतु पर्याप्त दिये जाने के बावजूद भी साक्ष्य पेश नहीं करने पर प्रतिवादी साक्ष्य समाप्त की गई और दिनांक 13.08.2024 को प्रतिवादी पक्ष के अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी अधिवक्ता की एकपक्षीय वहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वादी अधिवक्ता का कथन रहा कि विवादित आराजी ख0नं0 372/1 रकबा 6.18 बीघा ग्राम जखोनी तहसील शाहाबाद वादी के खाते तथा कब्जा काश्त की है, जिसमें प्रतिवादी को दखल देने का कोई हक अथवा अधिकार नहीं है, अतः प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा के जरिये पाबन्द किया जावे कि वह वादी को शान्तिपूर्वक काश्त करने दे और वादी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजामहत नहीं करे। पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी ग्राम जखोनी तहसील शाहाबाद सम्वत 2065-68 खाता संख्या 85 अनुसार विवादित आराजी ख0नं0 372/1 रकबा 6.18 बीघा वादी के खातदारी की है, जिस पर प्रस्तुत नकल गिरदावरी अनुसार वादी के कब्जे काश्त की पुष्टि होती है, जिसके प्रतिकूल कोई साक्ष्य प्रतिवादी की ओर से पेश नहीं की गई है। इस प्रकार विवादित आराजी वादी के एकमात्र खाते तथा कब्जे काश्त की है, जिसमें दखलन्दाजी करने का प्रतिवादी को कोई हक अथवा अधिकार नहीं है। अतः वादी का वाद अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0एक्ट विरुद्ध प्रतिवादी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह विवादित आराजी ख0नं0 372/1 रकबा 6.18 बीघा ग्राम जखोनी तहसील शाहाबाद पर वादी के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 01.05.2025 को सरे इजलास सुनाया गया। तदानुसार डिक्री जारी हो। प्रकरण फैसल शुमार होकर पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

01-05-2025  
उपस्थान्त अधिकारी  
शाहाबाद जिला मजिस्ट्रेट (जज.)